न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।

आदेश / 06.05.2023

इस जनपद में महिला अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नवीन महिला अधिकारियो की नियुक्ति होने के फलस्वरूप पूर्व में पारित आदेश मे परिवर्तन करते हुए, एवं अग्रिम आदेश तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या–24 / Admin-G-II Dated:Allahabad 27-08-2013 में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए महिला साक्षियों / पीड़िताओं के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान अंकित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यस्था की जाती है:–

क. सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम	सम्बन्धित थाने का नाम
1–	श्रीमती नूपुर श्रीवास्तव अपर सिविल जज (जू0डि0)–द्वितीय, गौतमबुद्धनगर	थाना दनकौर, सैक्टर–24, जारचा, सैक्टर–113, बादलपुर तथा नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।
2–	श्रीमती निमिषा गुप्ता, अपर सिविल जज (जू0डि0)–तृतीय, गौतमबुद्धनगर	थाना–दादरी, इकोटेक–3, सैक्टर–63, जेवर एवं रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।
3–	सुश्री आकृति , अपर सिविल जज (जू0डि0) / त्वरित न्यायालय (Newly created court), गौतमबुद्धनगर	थाना–सैक्टर–58, सूरजपुर, कासना (साईट–5), महिला थाना तथा एक्सप्रेस–वे, गौतमबुद्धनगर।
4–	श्रीमती महिमा जैन अपर सिविल जज (जू0डि0) / त्वरित न्यायालय (Crime against women), गौतमबुद्धनगर	थाना सैक्टर–49, बीटा–2, ईकोटेक–प्रथम, सैक्टर–142, फेस–3 एवं फेस–2, गौतमबुद्धनगर
5–	सुश्री रिचा शुक्ला, अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट संख्या–1, गौतमबुद्धनगर।	थाना सैक्टर–20, सैक्टर–39, बिसरख, फेस–1, सैक्टर–126, जनपद गौतमबुद्धनगर।

नोट:–

1–किसी भी सम्बन्धित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में उसके अगले क्रम में अंकित अधिकारी 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान अंकित करेगे।

2.–माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशो अन्तर्गत उपरोक्त सभी अधिकारीगण के अवकाश पर रहने की स्थिति में यदि किसी भी पुरूष अधिकारी को महिला साक्षियों / महिलाओं के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान अंकित करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो वह महिला साक्षियों / महिलाओ के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अंकित करते समय अपने साथ महिला कर्मचारी (महिला पुलिस कर्मचारी के अतिरिक्त) की उपस्थिति होना सुनिश्चित करेगा।

सामान्य:– जिन मामलों में माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई विशेष निर्देश उपरोक्त के सम्बन्ध में है तो उस परिस्थिति में उपरोक्त आदेश ऐसे मामलों के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होगा।

उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

अनुमोदित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गौतमबुद्धनगर।
दिनॉक:– 06.05.2023

(सुशील कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।